न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 23 / 2025

श्रवणराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. चैनाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. दुर्गाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. ज्यानी पत्नि मेघाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. कुनणाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रामनाथ पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. सुखाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मुलीदेवी पत्नि जैसाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
8. पप्पुराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
9. राजुराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
10. सुरेश पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
11. जमना पत्नि भैराराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
12. आईदानसिंह पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
13. प्रहलादराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
14. भंवरी पुत्री भैराराम जाति जाट निवासी सड़ू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
15. शाखा प्रबधंक बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. शाखा प्रबधंक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :—

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17-3-26

उपरोक्त वाद पत्र में मुताबिक न्यायालय आदेश दिनांक 20.11.2025 के तहसीलदार बीदासर द्वारा रोही ग्राम सडू छोटी के खेत खसरा संख्या 110 तादादी 2.1246 हेक्टेयर भूमि का प्रारम्भिक डिकी अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादगत भूमि खसरा संख्या 110 तादादी 2.1246 हेक्टेयर में सें दक्षिणी पश्चिमी कोने की 0.1416 हेक्टेयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बताया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने कोई आपति नहीं की है।

बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव को वकील वादी ने स्वीकार किया। वकील वादी ने वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वाद को अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सडू छोटी खसरा संख्या 110 तादादी 2.1246 हेक्टेयर में सें दक्षिणी पश्चिमी कोने की 0.1416 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष वादगत भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक......17-3-26......को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
श्रवणराम बनाम चेनाराम आदि
दावा बाबतः–विभाजन, चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मु.नं.– 23 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिकी की जाती है कि रोही ग्राम सडू छोटी खसरा संख्या 110 तादादी 2.1246 हेक्टेयर में सें दक्षिणी पश्चिमी कोने की 0.1416 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष वादगत भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व अंतिम डिकी का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.........................को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....17-3-26....

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			गीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)